

महाराजा शाही अ० के विश्वविद्यालय, कानपुर
MAHARAJA SHAHIJI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

जै.एन.वि.वि. / सम्ब. / २६७२ / २०१६

दिनांक : १७ / ०८ / २०१६

BPR
Approval (5)
(I)

सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत कार्य परिषद (बैठक दिनांक: 30.05.2016) की अनुमति से डॉ० वीरेन्द्र स्वरूप इस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर को स्नातक स्तर पर बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में स्ववित्तापोषित योजनान्तर्गत दिनांक: 01.07.2016 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सतर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसमात दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसमात शासनादेशों का पालन करेगी।
- संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनेयमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जर्ती एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रक्रियाओं के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सतर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि में सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमित्या/अध्यादेश एवं सुसमात शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
- संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सतर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
- महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हत् अर्ह एवं अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता/नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(संस्थान कार्यालय हुसैन)

कुलसचिव

गणितिः— निम्नलिखित को सुचनार्थी एवं आदेशक "कार्यवाही" हत् प्राप्त-

प्रबन्धक, डॉ० वीरेन्द्र स्वरूप इस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, नियमानुसार को इसु आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित जर्ती कानपुर नगर कानपुर नगर विधायिका द्वारा प्रभागीयता द्वारा जायेगी। स्नातक स्तर पर बी०बी०ए० पाठ्यक्रम का सत्र 2015-16 के परिवर्तने द्वारा हो जा से बदलाव नहीं आधिक रहा है। अतः आदेशानुसार महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में दिनांक: 01.07.2016 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जाती है।

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।

परीक्षा नियंत्रक / उपकुलसचिव (परीक्षा) सी०एस०ज०एम०विं०वि०, कानपुर।

सिस्टम मैनेजर, सी०एस०ज०एम०विं०वि०, कानपुर।

इचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०ज०एम०विं०वि०, कानपुर।

नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ।

सम्बन्धित पत्रावली।

(संस्थान कार्यालय हुसैन)

कुलसचिव

कुमार कुमार शिवानन्द
उप अधिकारी
उत्तर प्रदेश सामग्री

कृत्तियों
उच्चता काहू जी महाराजा विश्वविद्यालय
कानूनपूर्ण।

उच्च निदेश अनुभाग-६

प्राप्ति - महाविद्यालय संचालन हेतु समझौता की पूर्वानुसूति।

लग्ननक: दिनांक: २५ अगस्त, 2013

उपनिस्त विषयक आपके पत्रांक-सी०एस०जे०ए०निप०/ सन००/ २६३४/ २०१३, दिनांक २५.०७.२०१३ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सच्च सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (प्रशासनशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संचालन अधिनियम, २००७) की बारा-३७(२) के परन्तुक के अधीन डॉ वीरेन्द्र स्कॉल इन्स्टीचूट युक्त कम्प्यूटर स्टडीजून, साकेत नगर, कानूनपूर्ण को स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बी०बी००७ पाठ्यक्रम में लक्षितपौर्णित योजनान्तर्गत निलिखित छाती के अधीन दिनांक ०१.०७.२०१३ से आगामी तीन वर्ष हेतु संशर्त समझौता की पूर्वानुसूति प्रदान कर दी है :-

- (i) प्रस्ताव पाठ्यक्रम में अनुमोदित शिक्षकों को प्राक्कलन द्वारा नियन्त्रित पद निर्भत कर उन्हें कार्यमार्ग ग्रहण करकर उन्हीं से शिक्षण कार्य करना जायेगा। इसी के साथ प्रबन्धतंत्र एवं शिक्षकों के बीच अनुबन्ध पत्र भी निर्मादित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समझौता सम्बन्धी सामग्री को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सच्च महाविद्यालय द्वारा संतुष्ट किये गये अनिवार्य प्रामाणिक एवं चत्वर है। विश्वविद्यालय तत्त्व से इच्छी पुनः पुष्टि कर ली जायेगी। अनिवार्यों से इतर पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय का दर्शनवाला हौमा कि सम्बन्धित महाविद्यालय की समझौता के सम्बन्ध में यानी संस्तुति से जासन को घटकाल सूचित किया जाए।
- (iii) महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले समझौता आदेश में उलिखित छाती का निर्देश अनुभवण किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि समझौता आदेश में उलिखित छाती को पूर्ण नहीं किया जा सकता है/ नहीं किया जाया है तो, समझौता कापत लेने की कार्रवाई को जारी और विश्वविद्यालय द्वारा जननियत महाविद्यालय के लिये नियन्त्रित धर्मशालक कार्रवाई दी जायेगी।
- (iv) उत्तर प्रदेश सच्च विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (प्रशासनशोधित) की बारा-३७(२) के द्वितीय परन्तुक में यह व्यक्त्या है कि "परन्तु सभी वंश जिनके समझौता की सभी निर्वाचित छाती का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्यवकन के दस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विधार्थी को प्रयोग कर्ता देगा, जिसके लिये उस समझौता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्णानी परन्तुक के अधीन समझौता प्रदान की जाती है।" अर्थात् विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्ताव में इनियत समस्त कमियों की पूर्ण कर ली गयी है। अन्यथा की दशा में आगामी शिक्षण सत्र में छाती का प्रयोग प्रतिशिवित रहेगा।


Principal
Dr. Vinayendra Swarup
Institute of Computer Studies
Ganguly Campus

8/6A
07/07/2017

7

मानव संस्कृति विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक संस्कृति विश्वविद्यालय की बार-ग्राही पर 30/7/2017 को इस सम्बन्ध में नुस्खापत्र प्रदर्शित किया है।

37(6)- कार्यपालिका पर्याकरण सम्बन्ध महाविद्यालय का विशेषज्ञ, उसके द्वारा प्राप्तिकर्त्ता सम्बन्ध वा अधिक विद्यार्थी द्वारा पाठ्य कर्त्ता द्वारा अनिवार्य अन्तराल पर समय-समय पर कराये गए और उस निर्देशन की रिपोर्ट व्यापरिक की दी जाएगी।

37(7)- कार्यपालिका इस प्रकार निर्देशन किये गये सम्बन्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रताई करने का निर्देश कर सकता जो उसे उभय ओर भीकर गिरे गिरहित किया जाये जावस्यक लगे।

उक्त प्राविद्यार्थों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन की रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

(i) सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित निमियों की पूर्ति के आसन्त द्वी प्रियविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत किया गया है, के भावन्य ने उच्चान्वय द्वी विद्या विद्यालय की जाये जावस्यक लगे।

(ii) सम्बद्धता आदेश निर्गत करने के पहले विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कुलसंघिय इस वात का मती-मति परीक्षण कर देंगे कि विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कुलसंघिय इस वात का कमी प्रदर्शित हुई है तकी पूर्ति कर ली गयी है। बगल निविध में मानकों के विश्वविद्यालय का संचालन योग्य एवं अभियोगों की अप्रभाषिकता प्रक्रिया में जायी तो यह पूर्ण कुलपति स्वयं नि-। समझी जायेगी।

(iii) संख्या शासनादेश संख्या-255/सत्तर-2-2003-15(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित F. गा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेंगे।

(iv) मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2011-2015/2012, दिनांक 30 जून, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

मददीय,

(सुनोव कुमार श्रीवास्तव)

उप सचिव।

संख्या-सम्बन्ध 255(1) / सत्तर-6-2013-तदरिनक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ पूर्ण आवश्यक कर्तव्यहो हेतु प्रेषित-

(1) निदेशक, उच्च विद्या, उत्तर प्रदेश, इत्याहान्य।

(2) फ्रेंच उच्च विद्या अधिकारी, कानूनसंसद।

(3) सचिव/प्रबन्धक, दृष्टि वीडियो स्टेटम इन्डीव्यूट जाइ, काम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, साकेत नगर, कानपुर।

(4) अपर उचित, उच्च विद्या परिषद, इकिता म्यान, क्षेत्रनक को विभागीय कैलाइट पर प्रदर्शन हेतु।

(5) भिजी सचिव, सचिव, सुखनानंदी (ब्रीग्डी जनिता सिंह), उत्तर प्रदेश शासन।

मार्ग छाइल।

Principal
Dr. Virendra Swami
Institute of Computer Studies
Saket Nagar, Kanpur

वाज्ञा से

(सुनोव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

BBA

BBA
A.Y. 2013-14

प्रतिलिपि पत्र संख्या-सम्ब० 255/सरकार-6-2013-2(168)/2013 दिनांक 20.08.2013 द्वारा उप संचिय, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कृलक्षण छविमणि शाहू जी महावाच विश्वविद्यालय, कानपुर।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रक सी0इस0ज्ञे0एम0विठ्ठि०/सम्ब०/2688/2013 दिनांक 25.07.2013 के संदर्भ में मूँझे यह कहने का निवेदा हुआ है कि राज्य सरकार ने 1973 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन डा० वीरेन्द्र रवलप इन्स्टीच्यूट ऑफ कम्यूनिकेशन एवं स्टडीज, आकेत नगर, कानपुर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत शीठली०ए० पाठ्यक्रम में स्वचित प्रौढित योजनास्वरूप निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2013 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की पुर्वानुमति प्रदान कर दी है।

- (i) प्रस्तुत पाठ्यक्रम में अनुमोदित शिक्षकों को प्रबन्धतात्र द्वारा नियन्त्रित पत्र निर्गत कर उन्हें कार्यभार ग्रहण कराकर उन्होंने से विक्षण कार्य कराया जायेगा। इसी के साथ प्रबन्धतात्र एवं शिक्षकों के बीच अनुबन्ध पत्र भी निष्पादित कराया जाना मुनिषिक्त किया जायेगा।
- (ii) विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिषिक्त किया जायेगा कि उन्नकद्वाता सम्बन्धी शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ नहाविद्यालय द्वारा संलग्न किये गये अभिलेख प्रनापिक एवं सत्य है। विश्वविद्यालय स्तर से इसकी पुनः पुष्टि कर ली जायेगी। अभिलेखों से इतर पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय का दावित होगा कि सम्बन्धित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति से शासन को तत्काल सुनिषिक्त किया जायें।
- (iii) महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का नियन्त्र अनुशङ्कण किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है/ नहीं किया गया है तो, सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी और विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के विलद्व नियन्त्रनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- (iv) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(2) के द्वितीय परन्तुक में यह व्यवस्था है कि "परन्तु अप्रत्यक्ष यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी नियमित शर्तों का नहाविद्यालय द्वारा पालन न किया जाया हो, सब वक्त यह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिये उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात पूर्वानुमति परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।" अर्थात् विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिषिक्त कर लिया जायेगा कि प्रस्ताव में इनित समस्त कमियों की पूर्ति कर ली गयी है, अन्यथा की दरवाजे में आगामी शिक्षण तत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (v) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(6) एवं 37(7) में इस सम्बन्ध में सुनिषिक्त व्यवस्था निम्न है:-

 - 37(6)- कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष तक अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।
 - 37(7)- कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्यवाही करने का निर्देश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे पिछित किया जाये आवश्यक लगे।

उपर व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिषिक्त की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

- (vi) सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों की पूर्ति के उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत किया जाया है के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा एक माह में शासन द्वारा सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

Principal
Dr. Virender Swarup
Institute of Computer Studies
Saxena Nagar, Kanpur

पृष्ठा.....2

- (vii) उन्नदुला आदेश निर्गत करने के पहले विश्वविद्यालय के कुलपति तथा कुलसंचित इस बात का भली-भांति परीक्षण कर लेंगे कि विभिन्न मानकों का पूर्ण अनुपालन किया जा सकता है और जो भी कमी प्रदर्शित हुयी है उसकी पूर्ति कर ली गयी है। अगर भवित्व में मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाया गया या अमिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आयी तो घंड पूर्व अनुमति स्वरूप निरस्त कर्मदी जायेगी।

(viii) तीसरा शासनादेश संख्या-2851 / सत्र-2-2003-16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(ix) मानकानुसार शिक्षकों के अनुसोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522 / सत्र-2-2013-2(650) / 2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिरित कराया जायेगा।

छत्रपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

स्त्रीएवज्ञानोपनिषद् / चतुर्वा / ३५१४ / २०१३

दिनांक १२-९-१३

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यस्थानी हेतु प्रेषित :-

- प्रबन्धक, डायरीसिन्स स्टर्लिंग इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर को दूस आशय से प्रेरित है कि शासन के सम्बद्धता आदेश में वर्षित उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। स्नातक स्तर पर वार्षिक संकाय के अन्तर्गत ₹10वींए० पाठ्यक्रम में 120 सेटिंग निर्धारित की जाती है। महाविद्यालय में संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र कार्यभार ग्रहण आद्या सभा अनुबन्ध पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - उप कुलसचिव (परीक्षा) सी०एस०ज०ए०एम०विश्वविद्यालय, कानपुर।
 - राहायक कुलसचिव (सम्ब०), सी०एस०ज०ए०एम०विश्वविद्यालय, कानपुर।
 - सिस्टम नैनजार, सी०एस०ज०ए०एम०विश्वविद्यालय, कानपुर।
 - इंडियार्ज ई०डी०पी०सैन्टर, सी०एस०ज०ए०एम०विश्वविद्यालय, कानपुर।

~~(मुख्य उपाय हुसैन)~~